प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

[3/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 3479]

परिशिष्ट क्र 1

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र 3479 प्रश्नांश 'ख'

महिला बाल विकास विभाग (संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश)

क्र.	बिन्दु क्र.	जनसंकल्प	वस्तु स्थिति
1	22	पंचायत स्तर पर अलग-अलग आयु के स्वस्थ- शिशु प्रतियोगिता आयोजित कर माता को पुरस्कार योजना।	विभिन्न् आयोजनों के अवसर पर इस गतिविधि का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
2	4	आंगनबाड़ी भवन एवं कार्यरत महिला कार्यकर्ता की सुविधा में बढ़ोतरी।	प्रदेश में 2350 आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाडी केन्द्र के रूप मे विकसित किया गया है। कुल 16102 आंगनवाड़ी भवनों को शासकीय भवनों में स्थानान्तरित किया गया है। 13 वें वित्त आयोग अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रदेश के 24 जिलों में 769 एवं मनरेगा योजना के अभिसरण से प्रदेश के आईपीपीई विकास खंडों/स्निप जिलों में वर्ष 2015-16 हेतु 5000 एवं वर्ष 2016- 17 हेतु 7000 आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। वर्ष 2016—17 में इनमें से 5000 आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत किये जा चुके है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका तथा मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता के मानदेय भुगतान की व्यवस्था आनॅलाईन की गई है। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता को प्रतिवर्ष 02 साड़ी एवं बैज उपलबध कराये जा रहे है। सेक्टर स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। 13078 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की थी। जिसमें से अभी तक 500 आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह कार्य प्रारंभ किया गया है।नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी पोषण समिति का गठन कर वित्तीय प्रत्यायोजन के आदेश 24.02.2014 को जारी किये गये है । ग्रामीण क्षेत्र में स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के संचालन तथा वित्तीय प्रत्यायोजन के आदेश 24.02.2014 को जारी किये गये । वित्तीय प्रत्यायोजन ग्रामीण एवं नगरीय एवं नगरीय समिति को सुविधा में बढोत्तरी हेतु बैंक खाते खुलवाकर उपलब्ध कराई गई।
3	6	आंगनबाड़ी एवं प्राथमिक शालाओं में खेल संसाधन।	चयनित 2350 आंगनवाड़ी केन्द्रों में एम्फी थियेटर एवं आर्दश आंगनवाडी की सुविधाए विकसित की की गई है। आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्री—स्कूल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सुविधाओं के विकास के लिये सीएसआर का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। साथ ही 03 बाल सुलभ आंगनवाड़ी भवनो का निर्माण सीएसआर गतिविधी अन्तर्गत कराया गया है।

Mdunich.
संयुक्त संचालक
एकीकृत बाल विकास सेवा,
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

तारांकित प्रश्न कमांक 3479 के प्रश्नांश "ख" का परिशिष्ट –1

सदस्य का नाम– श्री सुखेन्द्र सिंह

सदन में उत्तर देने का दिनांक 03.03.2017 विभाग का नामः महिला एवं बाल विकास विभाग

विषयः जनसंकल्प 2013 की पूर्ति की जाना।

जन संकल्प बिन्दु कमांक	विवरण	कृत कार्यवाही
3.38	फुटपाथ पर रहने वाले तथा कचरा बीनने वाले बच्चों खास कर बच्चियों के कल्याण के लिये विशेष योजना।	समेकित बाल सरंक्षण योजना अंतर्गत किशोर न्याय अधिनियम के तहत संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाओ का प्रावधान है, जिसके तहत बच्चो को परिवार, पोषण एवं सरंक्षण प्रदान किया जाता है।
4.11	महिला सशक्तिकरण हेतु प्रचलित तेजस्विनी योजना का विस्तार।	तेजस्विनी कार्यकम का विस्तार, प्रथम चरण में 08 जिलो – खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, उज्जैन, रतलाम, इन्दौर, मंदसौर, एवं नीमच मे किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन मे है।
4.12	जिला स्तर पर दहेज प्रतिरोध सलाहकार बोर्ड में महिला अधिवक्ताओं का मनोनयन ।	समस्त जिलों के दहेज प्रतिषेध सलाहकार बोर्ड में महिला अधिवक्ताओं को मनोनित किया गया हैं।
4.16	महिलाओं के स्व सहायता समूह को सिलाई मशीन एवं प्रशिक्षण के उपरांत जेल, अस्पताल तथा बालिका छात्रावासों मे लगने वाली पोषाक सिलाई का कार्य।	तेजस्विनी कार्यकम के 06 जिलों कमंशः बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, पन्ना, टीकमगढ़ एवं छतरपुर के महिला संघों को पोषाक सिलाई कार्य आवंटन संबंधी प्रकिया प्रचलन मे है।
4.20	कामकाजी महिलाओं के लिये प्रथम चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कामकाजी (बस्तीगृह) महिला होस्टल।	कामकाजी महिलाओं के लिये प्रथम चरण में भोपाल मे महिला वसतिगृह का निर्माण कार्य दिनांक 25.08.2015 से प्रारंभ हो चुका है। 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण । इन्दौर एवं होशंगाबाद का प्रस्ताव भारत शासन की ओर प्रेषित। जबलपुर एवं ग्वालियर मे कार्यवाही प्रचलित है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,

अपर संचालक,
संचालनालय, महिला सशक्तिकरण